



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

पत्रांक:- 1457/अभं मढ़ौरा/दिनांक:- 14.07.22

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्रांडा), पटना।

विषय:- वित्तिय वर्ष 2022-23 में Permanent Restoration Work का मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen.) अंतर्गत पथों में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

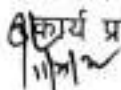
महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन Permanent Restoration Work का मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen.) अंतर्गत चयनित पथ का अधियाचना प्राप्त विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि उक्त पथ(संलग्न विहित प्रपत्र अनुसार) के स्तम्भ सं० 13 में दर्शाये गये राशि को आवंटित करने की कृपा की जाए, ताकि कॉलम सं० 05 में दर्शाये गये संवेदक के द्वारा पथ में किये गये Permanent Restoration Work का भुगतान किया जा सके।

अनु०:-1) अधियाचना विहित प्रपत्र में।

2) M.B. की छाया प्रति।

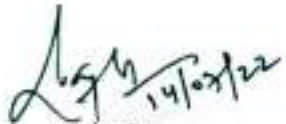
विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।


FORM GER-19-A

(See Government of India'S Decision (I) below Rule -150)
Form of Utilization Certificate up to the Month of July-2022
PIU:- Executive Engineer RWD Works Division, Marhaura

SL No	Name of Scheme	Sanction No& Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY- (Gen.)- CFMS (Ledger ID-405)	सचिव ब्राडा के पत्रांक-289 अनु० दिनांक-29-04-2022	2602.18002	Certified that out of Rs- 2602.18002 Lacs received during the Years 2017-18, 18-19,19-20 & 20-21, 21-22 & 2022-23 in favour of E.E., R.W.D. Works Division Marhaura Sum of Rs- 2600.85600 Lacs has been utilized for the Purpose of MMGSY (Gen.) Scheme as given in the margin for Which it was Sanctioned and that the balance of Rs-1.32402 Lacs remaining unutilized at CFMS the end of the period under report.


DPO
R.W.D. (W) Division Marhaura
14/07/2022


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division Marhaura

Rural Works Department

Permanent Restoration Work for MMGSY (Gen.) Road Allotment Requisition Format

Name Of Division:- RWD, Work Division, Marhaura

Sl. No.	Sanction Year	Project ID	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount		Supplementary Agreement (In Lakh)		Amount Received (in lacs)	Total Expenditure (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Permanent Restoration FDR Work Current Demand (in lac)	Remarks
					Length (in Km.)	Amount (in Lacs)	Main work	Mainta.	Main work	Mainta.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
1	2018-19	31306501292	Bhorha Ramdashpur Path to Shivjee Rai ke Tola tak	M/S D D Construction Prop-Devanti Devi	1.240	90.95900	69.56819	10.20507	2.52000	0.00000	69.54527	69.54527	71.95528	2.41001	Permanent Restoration Work Completed
Total:-					1.240	90.95900	69.56819	10.20507	2.52000	0.00000	69.54527	69.54527	71.95528	2.41001	


 Executive Engineer
 R.W.D. (W) Division, Marhaura



Supplementary Agreement-(Part-2)

- Date of Work Commencement:- 29.06.2022
- Date of Work Completion:- 28.07.2022

AGREEMENT NO.- 17

This Suppl. agreement made the..... day.....2022
between the Executive Engineer, Rural Work Department, Works
Division, Marhaura of the one part and

M/S D.D. Construction, Prop-Devanti Devi
AT-BANGRA WEST TOLA, P.O.-DUMARSHAN
, DIST.-CHAPRA, STATE:-BIHAR
PAN No:-BECPD3719Q

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Permanent Restoration Work of Damage Due To Flood Road Revised Estimate "BHORHA RAMDASHPUR PATH TO SHIV JEE RAI KE TOLA TAK Under MMGSY Scheme" Length-1.240 Km.", Total Permanent Restoration Cost of Rs.- 2,52,000=00 (Rs- TWO LAKH FIFTY TWO THOUSAND Only) and the Contractor has accepted the revised Estimate by the Employer for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein (-)10% Below of Rate. Agreement of all mentioned in revised estimate i.e all terms & Conditions applicable as per original Agreement.

[Signature]
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Marhaura
28/07/22

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक- 11/3030-3, तटस्वी0-7-89/22 4043130

पटना दिनांक- 20-6-22

प्रेषक,
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेल में
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, छपरा।

विषय:- शीर्ष MMGSY अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन प्राप्त 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक-759 अनु0 दिनांक-21.05.2022

महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Marhaura	Bhorha Ramdashpur Path To Shiv Jee Rai Ke Tola Tak	1.240	223/07.03.2019	90.96	82.27	2.52

- निर्माण कार्य MMGSY की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मर्दों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा ऐसे मर्दों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय